(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 53/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.14 और 4.16 (ii) में संशोधन।

सा.आ.(असाधारण): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 4 के पैरा 4.14 और 4.16 (ii) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 का मौजूदा पैरा 4.14

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क जहाँ भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ग), (घ) और (छ) के तहत शामिल आपूर्तियों के तहत आयात को लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात को भी राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यथा प्रदत्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले क्रमशः संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त है, और ऐसे आयात पूर्व–आयात शर्त के अधीन होंगे। वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत आयात को समेकित कर और क्षतिपूर्ति उप–कर से केवल 01.10.2018 तक छूट प्राप्त है।

3. विदेश व्यापार नीति 2015–20 का संशोधित पैरा 4.14

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क जहाँ भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ग), (घ) और (छ) के तहत शामिल आपूर्तियों के तहत आयात को लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद

विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, जैसा कि राजस्व विभाग द्वारा जारी दिनांक 18.10.2017 की अधिसूचना सं० 48/2017 केन्द्रीय कर में उल्लिखित तालिका की क्र. सं. 1,2 और 3 में अधिसूचित वास्तविक निर्यात या घरेलू आपूर्ति के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में प्रावधान किया जाए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात को भी सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले क्रमशः संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त है। अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत आयात को समेकित कर और क्षतिपूर्ति उप–कर से केवल 30.03.2019 तक छूट प्राप्त है।

4. पैरा 4.16 (ii) में क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी का संदर्भ हटा दिया गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव – एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त करने के लिए पूर्व–आयात शर्त हटाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.14 में संशोधन किया जाता है और एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट मान्य आपूर्तियों के लिए भी प्रदान किया जाता है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

(फाइल नंबर 01/94/180/117/एएम19/पीसी–4 से जारी)